संख्या 4/1/87-पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0 (पी0 आई0 सी-1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर, 1992

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि योजना को पेंशन योजना में परिवर्तित करना- वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के लिए एक समान नीति का प्रतिपादन करने के बारे में ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 1 मई, 1987 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6.3 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों (इसके बाद वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के रूप में संदर्भित) के लिए एक समान योजना प्रतिपादित करने का प्रस्ताव अंतरिक्ष विभाग, परमाणु उर्जा विभाग तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के परामर्श से जांचाधीन है ।

2. निम्नलिखित एक समान नीति अंतरिक्ष विभाग, परमाणु उर्जा विभाग तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों पर लागू होगी:-

(i) परमाणु उर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग तथा ऐसे अन्य वैज्ञानिक विभागों में कार्य ग्रहण करने वाले सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों, जिन्होंने परमाणु उर्जा विभाग में प्रचलित पद्धति को अपनाया है, की प्रारंभिक नियुक्ति अंशदायी भविष्य निधि योजना पर की जाएगी ।

(ii) अंशदायी भविष्य निधि को पेंशन योजना में परिवर्तित करने या अंशदायी भविष्य निधि योजना में ही बने रहने से इनमें एक विकल्प का प्रयोग वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नहीं ।

(iii) जो उमर निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं उनके लिए यह मान लिया जाएगा कि वे अंशदायीभविष्य निधि योजना में ही बने रहना चाहते हैं ।

(iv) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा । जिन्होंने पेंशन योजना के लिए विकल्प दिया है उनको अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए पुन: विकल्प देने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3. उमर निर्दिष्ट नई योजना उन सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों पर लागू होगी जिन्होंने परमाणु उर्जा, अंतरिक्ष तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में

31 जुलाई, 1992 के बाद नए प्रवेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया है । जो 1·8·92 को पहले से ही सेवा में हैं उनके मामले निम्नलिखित तरीके से नियमित किए जाएंगे :-

(i) जिन्होंने 1 अगस्त, 1992 को 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और अभी भी अंशदायी भविष्य निधि योजना में हैं, वे इन आदेशों के जारी होने के छः मास के भीतर पूर्ववर्ती पैराग्राफ में संदर्भित विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे । एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा । जिन्होंने कोई भी विकल्प नहीं दिया है उनके लिए यह मान लिया जाएगा कि वे अंशदायी भविष्य निधि योजना में ही बने रहना चाहते हैं ।

(ii) जिन कार्मिकों ने 1 अगस्त, 1992 को 2 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की है, और उस तारीख को अभी भी अंशदायी भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं उनके मामले उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के उपबंधों की शर्तों के अनुसार नए प्रवेशकों के रूप में नियमित किए जाएंगे लेकिन/जिन्होंने इन आदेशों के जारी होने के छः मास के भीतर 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेंगे तो उनके मामलों में विकल्प का प्रयोग छः मास की उपर्युक्त अवधि के भीतर कर लिया जाए ।

(iii) ऐसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक जिन्होंने इन आदेशों के जारी होने के पहले लागू अनुदेशों के अन्तर्गत पहले ही पेंशन योजना के लिए विकल्प दिया है, वे पेंशन योजना के अन्तर्गत बने रहेंगे । अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पुनः विकल्प के लिए वे आगे कोई विकल्प नहीं दे सकेंगे ।

4. परमाणु ऊर्जा विभाग आदि से अनुरोध है कि वे इन आदेशों को अपने अधीन कार्यरत सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के ध्यान में लाएं ।

स्वर्ण दास

(स्वर्ण दास)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई ।
2. अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर ।
3. इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, नई दिल्ली ।